नियोजक कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन प्रतिकर अदा करने के लिए जिम्मेदार हु । इस अधिनियम के अधीन दिए गए प्रतिकर के संबंध में नवीनतम उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

| अशक्तता का स्वरूप | 1973 | 1974 |
|---|---|---|
| | (रुपये लाखों में) | |
| (i) अस्थायी अशक्तता | 37.61 | 36.21 |
| (ii) स्थायी अशक्तता . | 30.15 | 30.31 |
| (iii) मृत्यु . | 48.13 | 48.26 |

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में मृत या घायल श्रमिक के आश्रितों को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं है ।

**Opposition to Rural Health Scheme**

1448. SHRI M. RAM GOPAL REDDY:
SHRI K. MALLANNA:
SHRI MANORANJAN BHAKTA:
SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA:
SHRI AMARSINH V. RATHAWA:
SHRI ISHWAR CHAUDHRY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether many doctors have opposed the implementation of Rural Health Scheme; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No. in fact, the leaders of the medical profession are in agreement with the Government over the importance of the Scheme. The Indian Medical Association did express opposition to some of the aspects of the scheme initially. They, however, appreciated the objectives of the scheme. The representatives of the Association were later given an opportunity to explain their position and also to understand the Government's view points in the matter.

(b) Does not arise.

**विलिंगडन अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पत्नियों के प्रसव के लिए व्यवस्था**

1449. श्री दयाराम शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता सरकार की स्थापना के बाद भी नई दिल्ली विलिंगडन अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पत्नियों के प्रसूति मामलों की देखभाल के लिए कोई प्रबन्ध नहीं हैं ; परन्तु अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए पृथक व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?